भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3624

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

फोर्टिफाइड चावल का वितरण और उपभोग

3624. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास संपूर्ण देश में और विशेषकर संवेदनशील जनसंख्या के बीच किसी भी कथित स्वास्थ्य प्रभाव सहित फोर्टिफाइड चावल के वितरण और खपत का कोई डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विशेषकर जनजातीय समुदायों में फोर्टिफाइड चावल के दुष्प्रभावों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस प्रकार के चावल का सेवन आयरन विषाक्तता जैसे स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में की गई चिंताओं पर कैसे प्रतिक्रिया कर रही है;

(ग) फोर्टिफाइड चावल से अत्यधिक आयरन के सेवन के जोखिम, जिससे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और ऑक्सीडेटिव तनाव जैसी संभावित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय कार्यान्वित किए गए हैं;

(घ) सरकार विशेषकर थैलेसीमिया या आयरन ओवरलोड जैसी स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए एफएसएसएआई विनियमों के अनुसार जोखिम वाली जनसंख्या के लिए स्पष्ट स्वास्थ्य चेतावनी सहित फोर्टिफाइड चावल को उचित रूप से लेबल किया जाना किस प्रकार सुनिश्चित करती है; और

(ङ) क्या इस संदर्भ में कोई अन्य लेबलिंग या स्वास्थ्य संबंधी अनिवार्यताएँ लागू की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत दिनांक 17.03.2025 तक 388.45 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) फोर्टिफाइड चावल वितरित/उठाया जा चुका है। साथ ही, चावल फोर्टिफिकेशन में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नियमित चावल (कस्टम

मिल्ड चावल) में सूक्ष्म पोषक तत्वों (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी12) से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) को मिलाया जाना शामिल है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने बताया है कि आयरन फोर्टिफाइड चावल खाने वाले प्रतिभागियों में क्षणिक प्रतिकूल प्रभावों के सीमित साक्ष्य हैं। एक और उल्लेखनीय निष्कर्ष यह है कि भारत में चावल में आयरन फोर्टिफिकेशन के स्तर को देखते हुए, फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से कुल आयरन का सेवन किसी भी आयु वर्ग के लिए 0.59 मिलीग्राम/किलोग्राम/दिन से कम है, जो सामान्य दैनिक आयरन की आवश्यकता के भीतर है।

(घ) और (ङ): एफ़एसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है, जिसमें फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के लिए लेबलिंग प्रावधान शामिल हैं। किसी भी उल्लंघन के मामले में, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

*****